प्राक्कथन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

क. गठन

पूर्ववर्ती श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के विभाजन के पश्चात् दिनांक 5.8.2004 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति अस्तित्व में आई। यह समिति विभागों से सम्बद्ध 24 स्थायी समितियों (डीआरएससी) में से एक है जिसका गठन 17वीं लोक सभा के दौरान 13 सितंबर, 2019 को दिनांक 13 सितंबर, 2019 के लोक सभा बुलेटिन (समाचार) भाग-II (**पैरा नंबर 556**) के तहत किया गया। समिति से सम्बंधित कार्य लोक सभा सचिवालय द्वारा किया जाता है। समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 सदस्यों को लोक सभा अध्यक्ष द्वारा लोक सभा के सदस्यों में से और 10 सदस्यों को राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाता है। श्रीमती रमा देवी समिति की अध्यक्ष हैं। वर्तमान में, समिति में लोक सभा के 21 सदस्य और राज्य सभा से 9 सदस्य (राज्यसभा से एक सीट खाली है) हैं।

ख. समिति का क्षेत्राधिकार

2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित मंत्रालय/विभाग आते हैं-

(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)।

(ii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)।

(iii) जनजातीय कार्य मंत्रालय।

(iv) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय।

ग. समिति के कृत्य

3. लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331 (ई) के तहत, समिति के कृत्य हैं:

क. संबंधित मंत्रालयों/विभागों की **अनुदानों की मांगों** पर विचार करना और सभा को इस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन में **कटौती प्रस्तावों** की प्रकृति के बारे में किसी भी प्रकार का सुझाव नहीं दिया जाएगा;

ख. संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे **विधेयकों** की जांच करना जिसे अध्यक्ष, लोक सभा या सभापति, राज्य सभा, जैसा भी मामला हो, द्वारा समिति को भेजा जाता है और उन पर प्रतिवेदन देना;

ग. मंत्रालयों/विभागों की **वार्षिक रिपोर्टों** पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन देना; और

घ. यदि अध्यक्ष, लोक सभा या सभापति, राज्य सभा, जैसा भी मामला हो, द्वारा सभाओं में प्रस्तुत **राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेजों** को समिति को संदर्भित किया जाता है तो उन पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन देना।

घ. अनुदानों की मांगों की जांच

4. प्रत्येक वर्ष सभा में बजट पर सामान्य चर्चा पूर्ण होने के उपरांत सभाओं को निर्धारित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। उपरोक्त अवधि के दौरान समिति संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करती है और दिए गए समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आलोक में सभा द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार किया जाता है।

ङ विधेयकों की जांच

5. समिति का एक कार्य विधेयकों की जांच करना है। समिति किसी भी सदन में पेश किए गए ऐसे विधेयकों पर विचार करती है जिसे अध्यक्ष, लोकसभा या सभापति, राज्य सभा, जैसा भी मामला हो, के द्वारा उनके पास भेजा जाता है। समिति उन विधेयकों के सामान्य नियमों और खंडों पर विचार करती है और उस पर प्रतिवेदन बनाती है। समिति दिए गए समय में विधेयकों पर प्रतिवेदन देती है।

च. नीतिगत मामलों की जांच

6. यदि अध्यक्ष, लोकसभा या सभापति, राज्य सभा द्वारा सभा में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत नीतिगत दस्तावेजों को समिति को भेजा जाता है, तो समिति को प्राथमिकता आधार पर इसकी जांच विधेयकों के मामले की तरह ही करनी पड़ती है।

छ. वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच

7. समिति को भेजे गए अनुदानों की मांगों, विधेयकों और नीतिगत दस्तावेजों पर विचार करने के अतिरिक्त वह अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर जांच के लिए अन्य विषयों का चयन भी कर सकती है।